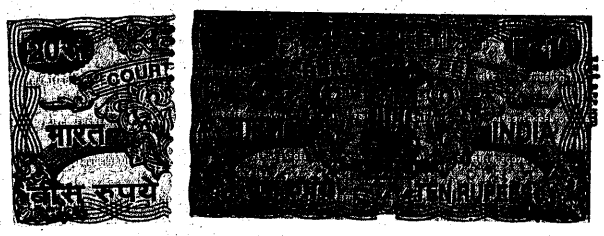

- 1 -

120

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

R 448- I/17

1. कडोरी तनय मानसिंह अहिरवार
2. द्रोपती तनय मानसिंह अहिरवार
   निवासी ग्राम चमारी तहसील बीना जिला सागर

................निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर/तहसीलदार बीना जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 11/बी–121/14–15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चमारी स्थित भूमि खसरा क्र 101/9 रकवा 2.09 हे. भूमि पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा आवेदकगण भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से रकवा 0.80 हे भूमि को शंकर यादव तनय श्रीपत यादव निवासी हाल भगतसिंह वार्ड बीना जिला सागर को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने के उपरांत भी आवेदकगण के पास करीब 3.05 एकड भूमि शेष है तथा उनके द्वारा बैंक से कर्ज लिया गया है जिसको अदा करने के लिए पैसों की आवश्यकता है जिस कारण से वह वादग्रस्त भूमि को विक्रय करना चाहता है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

(नितेन्द्र सिंघई एड०
9425171223
7000853503)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 545-II/17 जिला ....सागर............

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-17	1– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्रकरण कलेक्टर सागर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 11/ बी–121/ वर्ष 14–15 में के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि ग्राम मौजा चमारी खसरा क्र 101/9 रकवा 2.09 हे में स्थित है जो कि उनको पटटे पर प्राप्त भूमि है तथा प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है जिसमें से रकवा 0.80 हे भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदकगण द्वारा बैंक से कर्ज लिया गया है जिसकी अदायगी हेतु उसको पैसों की आवश्यकता है साथ ही साथ भूमि विक्रय के उपरांत उनके पास अन्य भूमि है एंव भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहती हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके तथा बैंक का कर्ज अदा कर सके। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में आवेदक क्र 1 का स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इजाल हेतु भी उन्हें पैसों की अत्यन्त आवश्यकता	

R 448 I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है। चूंकि वह भूमि को विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेगी इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया आवेदक का भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किए जाने का आवेदन पत्र लंबित होने से वह अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे एंव सही तरीके से इलाज नहीं करा पा रहे है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगण द्वारा भूमि विक्रय का इकरार शंकर यादव तनय श्रीपत यादव निवासी हाल भगतसिंह वार्ड, बीना जिला सागर को भी किया गया है। तथा वे भूमि को इकारग्रहीता को विक्रय करना चाहेते है, उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 3— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है। आवेदक क्र 1 द्वारा अपनी अस्वाथता के संबंध में शपथपत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार बीना के प्रतिवेदन की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण की प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है एंव वह अपनी भूमि को विक्रय करना चाहती है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि प्रकरण करीब तीन वर्ष से लंबित है जो कि सरल व सुलभ न्याय के विपरीत है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे भी अधिक अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी साथ ही साथ आवेदकगण के पास भूमि विक्रय करने के उपरांत करीब 3.05 एकड भूमि शेष है अतः प्रकरण की	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदकगण को ग्राम चमारी स्थित भूमि खसरा क्र 101/9 रकवा 2.09 हे में से 0.80 हे भूमि विक्रय शंकर यादव तनय श्रीपत यादव निवासी हाल भगतसिंह वार्ड, बीना जिला सागर करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	